

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901) संशोधन 2022 लागू

चर्चा में क्यों?

14 सितंबर, 2022 को उत्तराखण्ड राजस्व विभाग के अपर सचिव डॉ. आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य सरकार ने गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम 1901) संशोधन 2022 लागू कर दिया है। अब नगर नगिम, नगर पालिका, नगर पंचायत सहित सभी निकाय क्षेत्रों में पूर्व की भौत ज़मीनों का दाखलि-खारजि हो सकेगा।

प्रमुख बढि

- राज्यपाल की संसुतुतिके बाद प्रमुख सचिव हीरा सहि बोनाल की ओर से गजट नोटिफिकेशन जारी कयिा गया।
- उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम 1901) संशोधन 2022 के लागू हो जाने से प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में दाखलि-खारजि (म्यूटेशन या नामांतरण) का पेच दूर हो गया है।
- गौरतलब है कि दिसंबर 2020 में हाईकोर्ट ने एक मामले में अहम आदेश पारति कर लैंड रेवेन्यू (एलआर) एक्ट में राजस्व विभाग के कार्यों को नगर निकाय की सीमा में म्यूनिसिपिल कार्पोरेशन एक्ट, 1975 के तहत कराने के आदेश दयिे थे। इसमें कहा गया था कि संवधान के अनुच्छेद 243 क्यू में नगर पंचायत, नगरपालिका, नगर नगिम बनाने की प्रक्रिया तय की गई है, जबकि 1901 के लैंड रेवेन्यू एक्ट के अनुसार राजस्व अधिकारी ग्रामीण इलाकों के लयिे हैं।
- इसके बाद शहरी क्षेत्रों में भू-राजस्व संबंधी मामलों को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। खासकर दाखलि-खारजि और भू-तरुटि सुधार संबंधी मामलों का नपिटारा नहीं हो पाने के कारण ये मामले लंबति होते चले गए।
- अब पूर्व की भौत राजस्व संबंधी मामले, दाखलि-खारजि और भूलेख संबंधी तरुटि के लयिे राजस्व विभाग के अधिकारयिों को सकषम प्राधिकारी बना दयिा गया है।